रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082026-275480
CG-DL-E-14082026-275480

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 666] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2026/श्रावण 22, 1948
No. 666] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2026/SHRAVAN 22, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 730(अ).— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ --** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) संशोधन आदेश, 2026 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खंड 2 में, उपखंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(ञ) "अनुसूची" से इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।'

3. उक्त आदेश में खंड 3 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"3क. तरल पेट्रोलियम गैस उत्पादन और प्रदाय के लिए परिचालन निदेश-- (1) यह आदेश किया जाता है कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त उद्यम और निजी क्षेत्र की तेल शोधन कंपनियां और अपस्ट्रीम तेल कंपनियां,--

i. अनुसूची में विनिर्दिष्ट मात्राओं के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पेट्रोलियम गैस के भंडारण, निकासी और परिवहन के लिए स्वयं या अन्य संस्थाओं जैसे रेलवे या सड़क टैंकरों के माध्यम से पर्याप्त अवसंरचना का विकास, संवर्धन और प्रत्येक समय रखरखाव करेंगी;

ii. उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र या किसी अन्य प्राधिकृत एजेंसी को सूचना के साथ, जब भी ऐसा उन्नयन किया जाता है, अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट वर्तमान न्यूनतम उत्पादनीय मात्रा से अधिक तरल पेट्रोलियम गैस उत्पादन को अधिकतम करने के लिए, नफ़्था-से- तरल पेट्रोलियम गैस रूपांतरण, गैसोलीन-आधारित तरल उत्प्रेरक क्रैकिंग इकाई से पेट्रो-तरल उत्प्रेरक क्रैकिंग इकाई, या अन्य उन्नयन जैसी सभी तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य उपायों और प्रौद्योगिकियों को कार्यान्वित करेंगी।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनों के लिए "अपस्ट्रीम तेल कंपनी" से कोई भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या अन्य कानूनी इकाई अभिप्रेत है, जो खनिज तेलों की खोज, मूल्यांकन, विकास और उत्पादन में लगी हुई है या ऐसा कार्य कर रही है।

(2) यदि केंद्रीय सरकार की राय है कि घरेलू तरल पेट्रोलियम गैस की पर्याप्त उपलब्धता, साम्यापूर्ण वितरण और उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करना जनहित में आवश्यक है, तो वह स्वयं या उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र या किसी अन्य प्राधिकृत एजेंसी के माध्यम से, लिखित आदेश द्वारा तेल शोधन कंपनियों, तेल विपणन कंपनियों और अपस्ट्रीम तेल कंपनियों को तरल पेट्रोलियम गैस उत्पादन स्तर को उसमें विनिर्दिष्ट ऐसी मात्रा और अवधि के लिए बढ़ाने का निदेश जारी कर सकेगी, जिसके अंतर्गत तरल पेट्रोलियम गैस के उत्पादन के लिए अपेक्षित इनपुट स्ट्रीम के वैकल्पिक उपयोगों पर किसी निर्बंधन का अनुपालन भी है।

(3) उपखंड (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों में कंपनियों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर तरल पेट्रोलियम गैस उत्पादन स्तर बढ़ाने की अपेक्षा की जाएगी।

(4) केंद्रीय सरकार प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को अनुसूची को अद्यतन करेगी, जिसके अंतर्गत नई रिफाइनरियों और अपस्ट्रीम तेल कंपनियों से तरल पेट्रोलियम गैस उत्पादन या तरल पेट्रोलियम गैस की संबद्ध अवसंरचना और उत्पादन प्रौद्योगिकी, निकासी, प्रदाय, परिवहन या वितरण में परिवर्तन के कारण विद्यमान रिफाइनरियों और अपस्ट्रीम कंपनियों से अतिरिक्त मात्रा में तरल पेट्रोलियम गैस की अद्यतन जानकारी भी है।

(5) उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र या कोई अन्य प्राधिकृत एजेंसी इस खंड के अधीन जारी निदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी ।

(6) इस खंड के अंतर्गत जारी किए गए निदेशों का कोई उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।"

4. उक्त आदेश के खंड 10 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"अनुसूची

(खंड 3क देखें)

रिफाइनरी और अपस्ट्रीम तेल कंपनी क्षेत्र अधिकतम तरल पेट्रोलियम गैस उत्पादन

क्रम सं.	**रिफाइनरी/अपस्ट्रीम तेल कंपनी**	**अधिकतम तरल पेट्रोलियम गैस उत्पादन (हज़ार मीट्रिक टन प्रतिदिन)**
(1)	(2)	(3)
1.	आईओसीएल- डिगबोई	0.04
2.	आईओसीएल-गुवाहाटी	0.15
3.	आईओसीएल- बरौनी	1.12
4.	आईओसीएल-गुजरात	1.59
5.	आईओसीएल- हल्दिया	0.85
6.	आईओसीएल-मथुरा	2.20
7.	आईओसीएल- पानीपत	2.36
8.	आईओसीएल- बोंगाईगांव	0.76
9.	आईओसीएल- पारादीप	3.36
10.	सीपीसीएल- मनाली	1.48
11.	एचपीसीएल-मुंबई	1.82
12.	एचपीसीएल- विशाख	2.02
13.	एमआरपीएल-मंगलौर	4.60
14.	बीपीसीएल-मुंबई	1.80
15.	बीपीसीएल कोच्चि	4.80
16.	बीपीसीएल-बीना	0.78
17.	एनआरएल- नुमालीगढ़	0.24
18.	एचआरआरएल	1.54
	कुल योग (पीएसयू कंपनी)	31.47
19.	एचएमईएल	3.40
20.	नायरा	4.48
21.	आरआईएल-डीटीए	18.00
	आरआईएल-एसईजेड	
	कुल (निजी कंपनी)	25.88
	कुल योग पीएसयू + निजी	57.35

22.	ओएनजीसी	2.45
23.	ओआईएल	0.98
24.	जीएआईएल	3.03
	कुल अपस्ट्रीम क्षेत्र	6.46
	कुल तरल पेट्रोलियम गैस क्षमता	63.81**".**

[फा. सं. आर-11029/34/2026-ओआर-I/ई-55854]

वी.सी. चौधरी, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 272(अ), तारीख 16 अप्रैल, 1999 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें पश्चातवर्ती संशोधन सं. सा.का.नि. 870(अ) तारीख 15 नवंबर, 2000 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 13th August, 2026

G.S.R. 730(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, further to amend the Petroleum Products (Maintenance of Production, Storage and Supply) Order, 1999, namely: –

1. **Short title and commencement. –** *(1)* This Order may be called the Petroleum Products (Maintenance of Production, Storage and Supply) Amendment Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum Products (Maintenance of Production, Storage and Supply) Order, 1999 (herein after referred to as the said Order), in clause 2, after sub-clause *(i),* the following sub-clause shall be inserted, namely: –

'*(j)* "Schedule" means a Schedule appended to this Order.'.

3. In the said Order, after clause 3, the following clause shall be inserted, namely: –

"3A. Operational directions for Liquified Petroleum Gas production and supply. – *(1)* It is hereby ordered that all public sector, joint venture and private sector oil refining companies, and upstream oil companies shall, –

(i) develop augment and at all times maintain adequate infrastructure for storage, evacuation and transport of Liquified Petroleum Gas either by itself or through other entities *viz* railways or road tankers adequate for the quantities specified in the Schedule;

(ii) implement all technically and economically feasible measures and technologies such as naphtha-to-liquified petroleum gas conversion, gasoline-based fluid catalytic cracking unit to petro-fluid catalytic cracking unit, or other upgrades, to maximise Liquified Petroleum Gas production beyond current minimum producible quantities as specified in the Schedule, with intimation to Centre for High Technology or any other authorised agency, whenever such an upgrade is undertaken.

Explanation. – For the purposes of this rule "upstream oil company", means any person, firm, company or other legal entity engaged in or undertaking the exploration, appraisal, development and production of mineral oils.

(2) If Central Government is of the opinion that it is necessary in public interest to ensure adequate availability, equitable distribution and availability at fair prices of domestic Liquified Petroleum Gas, it may by itself or through Centre for

High Technology or any other authorised agency, by order in writing, issue direction to oil refining companies, oil marketing companies and upstream oil companies to ramp up the Liquified Petroleum Gas production levels for such quantity and period specified therein, including compliance with any restrictions on alternative uses of input streams required to produce the Liquified Petroleum Gas.

(3) The directions issued under sub-clause *(2)* shall require the companies to ramp-up the Liquified Petroleum Gas production levels within the stipulated time frame.

(4) The Central Government shall update the Schedule on 1st January and 1st July of every year including updates to Liquified Petroleum Gas production from new refineries and upstream oil companies or additional Liquified Petroleum Gas quantities from existing refineries and upstream companies due to changes to associated infrastructure and production technology, evacuation, supply, transport or distribution of Liquified Petroleum Gas.

(5) The Centre for High Technology or any other authorised agency shall monitor the implementation of the directions issued under this clause.

(6) Any contravention of directions issued under this clause shall be punishable under the provisions of the Essential Commodities Act, 1955.".

4. In the said Order after clause 10, the following Schedule shall be inserted, namely: –

"Schedule

(see clause 3A)

Refinery and upstream oil companies field maximum Liquid Petroleum Gas production

S. No.	**Refinery/ upstream oil companies.**	**Maximum Liquid Petroleum Gas production (in Thousand Metric Tonnes per day).**
(1)	(2)	(3)
1.	IOCL-Digboi	0.04
2.	IOCL-Guwahati	0.15
3.	IOCL-Barauni	1.12
4.	IOCL-Gujarat	1.59
5.	IOCL-Haldia	0.85
6.	IOCL-Mathura	2.20
7.	IOCL-Panipat	2.36
8.	IOCL-Bongaigaon	0.76
9.	IOCL-Paradip	3.36
10.	CPCL-Manali	1.48
11.	HPCL-Mumbai	1.82
12.	HPCL-Vishakh	2.02
13.	MRPL-Mangalore	4.60
14.	BPCL-Mumbai	1.80
15.	BPCL-Kochi	4.80
16.	BPCL-Bina	0.78
17.	NRL-Numaligarh	0.24
18.	HRRL	1.54
	Total (PSU Companies)	31.47
19.	HMEL	3.40
20.	Nayara	4.48
21.	RIL-DTA	18.00

	RIL-SEZ	
	Total (Private companies)	25.88
	Total PSU + Private	57.35
22.	ONGC	2.45
23.	OIL	0.98
24.	GAIL	3.03
	Total Upstream Fields	6.46
	Total Liquified Petroleum Gas Potential	63.81 **".**

[F. No. R-11024/34/2026-OR-I (E-55854)]

V.C. CHOUDHARY, Dy. Secy.

Note: – The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number G.S.R. 272(E), dated 16th April, 1999 and was subsequently amended *vide*, G.S.R. 870(E), dated the 15th November, 2000.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.